



बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०

“खाद्य भवन” दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लाक रोड नं०-२ पटना ८००००१

कार्यालय आदेश

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति कार्य योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होनेवाले ऋण खाता, बैंकों से लिये गये ऋण के संबंध में मातृ बैंक खाता एवं शिशु बैंक खाता की व्यवस्था ज्ञापांक-11013, दिनांक-30.10.2017 द्वारा की गयी थी। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के पत्रांक-266, दिनांक-30.03.2017 के द्वारा योजना मद की राशि की निकासी कर उतना ही राशि बैंकों में रखी जानी है, जितना कि आवश्यकता है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के फलस्वरूप, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं इण्डियन बैंक का ऋण खाता क्रियाशील नहीं रह गया है। बैंक ऑफ इण्डिया एवं आन्ध्रा बैंक का ऋण भी बहुत कम रह गया है।

शिशु बैंक खाता	मद	मातृ बैंक खाता	खाता की स्थिति
कॉरपोरेशन बैंक, 055000101015679	परिवहन एवं हथालन व्यय	कॉरपोरेशन बैंक, 032300401170001	मातृ ऋण की राशि बहुत कम है।
बैंक ऑफ इण्डिया, मुरादपुर चौहट्टा शाखा। 1) 440820110000339 2) 440820110000359	1)कम्प्यूटरीकरण कार्य का भुगतान 2) जिले के कार्मिकों का वेतन भुगतान	बैंक ऑफ इण्डिया, बी०सी०पी० मार्ग शाखा, पटना 441030110000039	
आन्ध्रा बैंक, 285011100000195	वैट, कमर्शियल टैक्स, मकान एवं गोदाम भाड़ा तथा आकस्मिकता व्यय	आन्ध्रा बैंक, 041813100000344	
इण्डियन बैंक, 6282639495	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा राशि जमा करने हेतु	इण्डियन बैंक, 6516385390	मातृ-ऋण खाता में पूरी ऋण राशि लौटायी जा चुकी है।
इलाहाबाद बैंक, 50375519040	डीलर्स कमीशन (केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों)	इण्डियन बैंक, 6516385390	
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 730402010001278	मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों का वेतन एवं स्थापना व्यय; सेवान्त लाभ एवं उपादान	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 622405010000113	

अतः ऐसी परिस्थिति में पुनः मातृ खाता एवं शिशु खाता को नये सिरे से कर्णांकित करने की आवश्यकता होगी। अतः इस कार्यालय के ज्ञापांक-11013, दिनांक-30.10.2017 द्वारा मातृ खाता-शिशु खाता की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उक्त पत्र को तत्कालिक रूप से अवक्रमित किया जाता है।

महाप्रबंधक, वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उप महाप्रबंधक (वित्त) एवं उप महाप्रबंधक (लेखा एवं बजट) को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र में दिये गये प्रसंगाधीन आदेश के मामलों में बैंक की विवरणी की सम्पुष्टि कर ली जाय एवं उपरोक्त सभी खातों, बैंक का Reconciliation करना सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

ह०/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक : 04:14:01:2014 (पार्ट-2) - /वित्त, पटना/दिनांक-

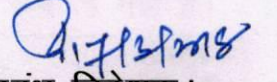
प्रतिलिपि- सभी प्रमुख सम्प्रति मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/प्रबंध निदेशक कोषांग/वित्त शाखा,
निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

ह0/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक : 04:14:01:2014 (पार्ट-2) - 2748 /वित्त, पटना/दिनांक- 19/3/18

प्रतिलिपि- सभी संबंधित बैंकों के मुख्य प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



प्रबंध निदेशक।